

डॉ भीमराव अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले के शैक्षणिक विचारों का अध्ययन

डॉ० सत्येंद्र सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर

शिक्षाशास्त्र विभाग

राजकीय महाविद्यालय मांट, मथुरा

sschahar11@gmail.com

सारांश, डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने सकारात्मक दिशा में काम किया। शिक्षा को महत्व देकर उन्होंने सुधारवादी आंदोलनों की विरासत को प्रगतिशील दिशा में आगे बढ़ाया। अपने पूरे जीवन में उन्होंने शिक्षा को व्यापक महत्व दिया। इनके शैक्षिक दर्शन के अनुसार सभी सामाजिक बुराईयाँ सामाजिक समस्याओं का मूल कारण हैं। उन्होंने उस शैक्षिक ढांचे की तीखी आलोचना की जो केवल कुछ वर्ग के लिए लागू था। शिक्षा के अभाव में शूद्र, अतिशूद्र और महिलाओं का जीवन में कालकोठरी बन गया। समाज के धार्मिक शास्त्रों ने इस दायरे को सीमित कर दिया, बल्कि इसे और मजबूत कर दिया। इनके समय में अछूतों को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं थी। अछूतों की आवाजाही पर उचित प्रतिबंध थे, इसलिए उनकी प्रगति का दौर बुरी तरह रुक गया। वे अपने दैनिक काम खुद नहीं कर सकते थे। अछूतों और महिलाओं को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने साथ मिट्टी का घड़ा लेकर चलना पड़ता था, जिसे वे अपने गले में लटकाकर चलते थे। स्थापित नियम के अनुसार शूद्रों को सड़क पर पैरों के निशान मिटाने के लिए अपनी कमर में झाड़ू बांधनी पड़ती थी इस तरह का अमानवीय जीवन लोगो को जीना पड़ता था, जबकि महात्मा ज्योतिबा फुले के अनुसार इन उपरोक्त बुराईयों से मानवों को शिक्षा प्रदान करके उन्हें मिथक और धारणा में गहरे फंदे से बाहर निकाला जा सकता है। उन्हें अंधेरे वास्तविकता से जगाने के लिए सामूहिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। स्कूलों की स्थापना के माध्यम से, उन्होंने कमजोर लोगों को जगाने का प्रयास किया। महात्मा ज्योतिबा फुले के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधार होती है। इसको आधार मानकर आज की सरकारों को यह महसूस करने की आवश्यकता है कि शिक्षा इतनी आवश्यक है कि उन्हें इसे अनिवार्य बनाना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के विचार को प्रतिष्ठित करने के लिए एक नए सामाजिक व्यवस्था को मूर्त रूप देने के लिए आवश्यक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले के निडर कदमों ने सार्वभौमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील के पत्थर बनाए और समाज को उचित क्रम में रखने का प्रयास किया।

मुख्य शब्द, अनिवार्य शिक्षा, सामूहिक शिक्षा, धार्मिक शास्त्र, सामाजिक समस्याएँ आदि।

परिचय, इस समय महिलाएं घर की दहलीज पार नहीं कर सकती थीं, उन्हें धार्मिक और मानव निर्मित समाज द्वारा किए गए सभी अमानवीय व्यवहारों का सामना करना पड़ता था। पारंपरिक समाज द्वारा लगाए गए कठोर

दंड और प्रतिबंधों ने शूद्रों और महिलाओं को उनकी स्थिति में सीमित कर दिया था। यह सब शिक्षा की कमी के कारण हुआ। डॉ. भीमराव अंबेडकर के लेख हिंदू महिलाओं का उत्थान और पतन समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति के पीछे के कारणों की विस्तृत व्याख्या करता है। ऐतिहासिक रूप से अब यह साबित हो चुका है कि जब भी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिए गए, वे खुद को समान स्तर पर रखने में सफल रही हैं। यह शोध पत्र बताता है कि आम लोगों के अधिकारों की शिक्षा की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय कैसे महत्वपूर्ण हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले को महिला शिक्षा का अग्रणी और कट्टर समर्थक माना जाता है। महिलाओं को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने विशेष विद्यालय स्थापित किए। उनके समय में ईसाई विद्यालय मुख्य रूप से धर्मोपदेश पढ़ाने के लिए समर्पित थे। 1948 में उन्होंने तात्या साहेब भिड़े के परिसर में लड़कियों के लिए पहला निजी विद्यालय खोला। 3 जुलाई 1851 को गंज पेठ के परिसर में पिछड़े वर्गों की लड़कियों के लिए एक विद्यालय शुरू किया गया। इसके अलावा, उन्होंने कुछ अन्य विद्यालय भी शुरू किए और सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार, 1853 में पुणे के विद्यालयों में नामांकित लड़कियों की संख्या 235 हो गई थी। इन्होंने साहसिक कदम उठाकर महिलाओं को सही मायने में सशक्त बनाया। महिलाएँ अपनी अज्ञानता से गंभीर रूप से जागृत हुईं और सही और गलत के बीच अंतर को समझने लगीं।

शिक्षा के संदर्भ में, महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा आयोग को एक वक्तव्य दिया था। वे कहते हैं कि पूना में मिशनरियों द्वारा 25 वर्ष पूर्व एक महिला विद्यालय की स्थापना की गई थी, लेकिन उस समय लड़कियों के लिए कोई स्वदेशी विद्यालय नहीं था। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा अनुभव मुख्यतः पूना और आस-पास के गांवों तक ही सीमित है। कुछ समय पश्चात महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस विद्यालय को शिक्षित मूल निवासियों के प्रबंधन में रख दिया। इसलिए, लगभग 1854 में मुझे इस तरह का विद्यालय स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया और मैंने अपनी पत्नी के साथ कई वर्षों तक इसमें काम किया। उनके प्रयासों के कारण, शहर के विभिन्न भागों में दो और विद्यालय खोले गए। महिला विद्यालयों के एक वर्ष पश्चात अधीनस्थ वर्गों, मुख्यतः महार समाज की लड़कियों के लिए एक स्वदेशी मिश्रित विद्यालय भी स्थापित किया गया।

महात्मा ज्योतिबा फुले ने पारंपरिक समाज के लिए ठोस समाधान खोजने के लिए जन शिक्षा फैलाने के लिए कठोर प्रयास किए। जाति व्यवस्था एक त्वचा संबंधी घाव है जो जातियों को उनके दायरे में सीमित कर देता है। जाति पदानुक्रम में, एक अपर्याप्त सामाजिक स्तरीकरण था जिसने बहिष्कृत लोगों के जीवन को दयनीय बना दिया था, खासकर उन लोगों के लिए जो सबसे निचले पायदान पर थे। हजारों वर्षों के बाद, महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज के सभी वर्गों को ज्ञान के द्वार खोले और उन्हें उचित स्थान और सही दिशा में रखा। भारतीय इतिहास में, महात्मा फुले ने शिक्षा के माध्यम से महिलाओं और अन्य दलित लोगों के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य किए। महात्मा ज्योतिबा फुले के सामाजिक आंदोलन के बारे में श्री फैजल कहते हैं। प्राथमिक विद्यालय के मानक को बनाए रखने के लिए, उन्होंने नियमित निरीक्षण करने की सिफारिश की। स्कूल निरीक्षक की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए, यह जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए। उच्च जाति के शिक्षक शूद्र और अतिशूद्र छात्रों को पढ़ाने में उतनी रुचि नहीं रखते थे। यह शिक्षक उच्च जाति और शूद्र और अतिशूद्र

छात्रों के साथ अलग-अलग व्यवहार करते हैं। विद्यालय में भेदभाव से बचने के लिए, वे विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं मैं (अंग्रेजी सरकार से) अन्य (गैर-ब्राह्मण) समुदायों से शिक्षकों की नियुक्ति करने का आग्रह करता हूँ, जो शूद्र बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालयों में स्वस्थ ज्ञान (ज्ञान) के आदर्श बन सके। उन्हें अधिमानतः माली या किसानों या अति-शूद्र महारों में से चुना जाना चाहिए। आम लोगों के बच्चों के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालय स्थापित करना ब्रिटिश सरकार का कर्तव्य है।

डॉ. भीमराब अंबेडकर ने भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करके उस दिशा में प्रावधान किए। सामाजिक विकास के लिए 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ने सामाजिक विकास का एक मजबूत मार्ग प्रशस्त किया। डॉ. भीमराब अंबेडकर ने वंचित वर्गों के लिए विशेष रूप से स्कूल, कॉलेज और छात्रावास शुरू करने के लिए एक शिक्षा समाज की स्थापना की। इन क्रांतिकारी कदमों ने सामाजिक मन पर गहरा प्रभाव डाला, जहाँ समाज के सभी वर्गों में जातिगत भेदभाव व्याप्त था। छात्रों को डॉ. भीमराब अंबेडकर की सलाह मिलिंद महाविद्यालय की नींव रखते हुए डॉ. भीमराब अंबेडकर ने छात्रों से कहा कि उन्हें शिक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल होना चाहिए ताकि वे अपने दुख का वास्तविक कारण समझ सकें। उनके अनुसार किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। डॉ. भीमराब अंबेडकर ने मराठा प्रथम वार्षिक पत्रिका को संदेश देते हुए कहा कि मैंने हमेशा माना है कि जीवन के हर क्षेत्र में ज्ञान ही शक्ति है। अनुसूचित जाति के लोग तब तक स्वतंत्रता और आजादी के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक वे सभी ज्ञान को गहराई से नहीं पा लेते। मुझे विश्वास है कि 'अम्बेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, पूना' इस दिशा में ईमानदारी से प्रयास करेगा।

ज्ञान वह शक्ति है जो यह तय करने में मदद करती है कि चीजें सही हैं या गलत। यह आंतरिक परिवर्तन लाता है और समस्याओं के वास्तविक कारण का पता लगाने में मदद करता है। डॉ. भीमराब अंबेडकर के अनुसार, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के जीवन में जबरदस्त बदलाव ला सकता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को शक्ति मिलती है जो नैतिक परिवर्तन के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन के लिए भी आवश्यक है। 25-27 दिसंबर, 1946 को नागपुर में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा सम्मेलन के अवसर पर। डॉ. भीमराब अंबेडकर श्री गेडाम, महासचिव, सी.पी. और बरार अनुसूचित जाति के छात्रों को सम्मेलन में भाग लेने में असमर्थता का संदेश भेजते हैं। वे कहते हैं मैं, फिर भी, सम्मेलन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएँ भेज रहा हूँ। हमारे लड़कों को दो बातें सीखनी चाहिए। सबसे पहले, यह साबित करना कि अवसर मिलने पर वे बुद्धि और क्षमता में किसी से कम नहीं हैं। दूसरे, यह साबित करना कि उन्हें केवल व्यक्तिगत खुशी के रास्ते पर नहीं चलना है, बल्कि अपने समुदाय को स्वतंत्र, मजबूत और सम्मानित बनाना है। यदि सम्मेलन हमारे छात्रों के मन में ये दो उद्देश्य पैदा कर सके, तो यह अपने अस्तित्व को पूरी तरह से उचित ठहराएगा, मुझे यकीन है कि ऐसा होगा। जाति व्यवस्था की रीढ़ पर हमला करने और उसे नष्ट करने की तीव्र इच्छा थी, बजाय सतही बदलाव लाने और बाल विवाह और सती प्रथा जैसे माध्यमिक मुद्दों को संबोधित करने के। 28 फरवरी, 1920 के

अंक में उन्होंने शिक्षा के बिल पर राष्ट्रवादियों के विचारों की आलोचना की। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग करते हुए यह बिल विधानसभा में पेश किया गया।

शिक्षा द्वारा सुधार व्यक्तियों में रचनात्मक परिणाम उत्पन्न करता है, जिसमें सशक्तीकरण और पारंपरिक समाज से मौलिक प्रश्न पूछने का आत्मविश्वास मिलता है। मानव संसाधनों को अधिकतम करने के लिए, महात्मा ज्योतिबा फुले ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ समान व्यवहार किया। पारंपरिक समाज के स्थापित प्रवाह को चुनौती देकर, उन्होंने प्राचीन व्यवस्था को चुनौती दी। महाराष्ट्र में वे पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने अछूतों और लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की। उनके मिशन का उद्देश्य शूद्रों, अतिशूद्रों और भारतीय महिलाओं की गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ना था। इसके परिणाम स्वरूप, उन्होंने वीरता पूर्वक निम्न वर्गों और महिलाओं के लिए ज्ञान तक पहुँच का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने सामाजिक समानता, न्याय और स्वतंत्रता के आधार पर सामाजिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया। महिलाओं, शूद्रों और अतिशूद्रों की शिक्षा के बारे में कई धारणाएँ और पूर्वाग्रह भारतीय समाज में गहराई से समाए हुए थे। इस पर धनंजय कीर ने कहा महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। एक महिला को स्वभाव से ही कमजोर, अविश्वसनीय, दुष्ट, कामुक माना जाता था।

सम्बन्धित पूर्व साहित्यिक अवलोकन

कुमार, एस. (2024) डा. भीमराव अम्बेडकर और सामाजिक न्याय एक अध्ययन” 25 नवंबर 1949 को यानी संविधान को अंगीकार किए जाने के एक दिन पहले डा. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में क्या कहा यह गौर करने लायक है. उन्हें इस बात की फिक्र थी कि अगर भारत ने फिर अपना लोकतंत्र खो दिया तो क्या होगा? वे मानते थे कि भारत में लोकतंत्र पहली बार 1949 के बाद नहीं आया है. वह पहले भी था और बौद्ध भिक्षु संघ एक प्रकार के संसदीय संगठन ही थे. वे संसदीय नियमों का पालन करते थे. लेकिन लंबे समय से वह व्यवहार भारत भूल गया है।

कुमार, ए (2024) शिक्षा का लोकतान्त्रिक मूल्य और डॉ. भीमराव अम्बेडकर, यह एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्हें भारत में सभी विचार धाराओं के लोग मानते रहे हैं। यह उनका कद ही तो है जो उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर ख्याति दिला रहा है। आज उन्हें संपूर्णता में देखने की जरूरत है।

कोट्टापरम्बन, मुसदिक. (2024), “भारत में दलित और दलित साहित्य का उदय” (प्रिंट)। यह लेख हमें बताता है कि दलित शब्द कैसे उभरा और दलितों द्वारा सामना किए जाने वाले सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक भेदभाव के बारे में भी। वह डा. भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराब फुले, ईवी रामास्वामी, दलित पैथर आंदोलन और मार्क्सवादी आंदोलन के बारे में बात करते हैं। वह दलित साहित्य और अश्वेत साहित्य के बीच समानताएं भी बताते हैं।

गंगवार, एम. (2024) ने महात्मा ज्योतिबा फुले एवं डा. भीमराव अम्बेडकर नामक शोध पुस्तक के आधार पर शिक्षा से जुड़ा यह निष्कर्ष निकाला है कि 19वीं शताब्दी के भारत में शूद्र-अतिशूद्र की शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था

नहीं थी और यह वर्ग भी सुसुप्तावस्था में था। इस समय महिलाओं को शिक्षा देना पाप कर्म समझा जाता था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस दिशा में विभिन्न शिक्षा की पाठशालायें खोलकर तथा शोषित वर्ग में शिक्षा के प्रति चेतना जाग्रत करने का कठिन कार्य रूढ़िवादी समाज से संघर्ष करते हुए किया था। सन् 1855 में रात्रि पाठशाला खोलकर बड़ों की शिक्षा का प्रबन्ध किया। पुणे पुस्तकालय 1852 में, छात्रावास खोले, सरकार ने सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था की माँग 19 अक्टूबर में हण्टर कमीशन के समक्ष 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा प्रोत्साहन हेतु छात्रों की छात्रवृत्तियों तथा पुरस्कार देने का सुझाव दिया, जिससे शिक्षा के प्रति दलितों में चेतना जाग्रत हो सके। व्यवसायिक शिक्षा व उच्च शिक्षा की सभी वर्गों के लिए व्यवस्था सरकार से करवाई तथा मैकाले की फिल्टर (खून भारतीय और दिमांग अंग्रेजी बनाना) नामक नीति का विरोध किया। अपनी पुस्तकों 'किसान का कोड़ा' तथा 'गुलामी' आदि के माध्यम से दलित वर्ग में शिक्षा के प्रति चेतना जाग्रत की। महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से ही बड़ौदा नरेश सायाजीराव गायकवाड़ ने डा. भीमराव अम्बेडकर को आर्थिक सहायता देकर विदेश पढ़ने जाने में मदद की। डा. भीमराव अम्बेडकर ने शैक्षिक महत्व को स्पष्ट करते हुए बताया है कि बिना शिक्षा के दलितों को सामाजिक स्तर प्राप्त नहीं हो सकता और मनुष्य विद्या के बिना पशुतुल्य है।

शोध पत्र के उद्देश्य,

- डॉ भीमराव अम्बेडकर के शैक्षिक विचारों का अध्ययन किया गया है।
- महात्मा ज्योतिबा फुले के शैक्षिक विचारों का अध्ययन किया गया है।

शोध पत्र के प्रश्न,

- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में डॉ भीमराव अम्बेडकर के शैक्षिक विचारों की क्या प्रासंगिकता रहीं है।
- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महात्मा ज्योतिबा फुले के शैक्षिक विचारों की क्या प्रासंगिकता रहीं है।

शोध विधि

भारत में महात्मा फुले को बेहद सम्मान के साथ एक समाज सुधारक, विचारक, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता के तौर पर जाना जाता है। 24 सितंबर 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने 'सत्य शोधक समाज' नामक एक संस्था की स्थापना की थी, ये संस्था नीची समझी जाने वाली और अस्पृश्य जातियों के उत्थान के लिए काम करती थी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी महात्मा फुले के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए भारत की पहला विद्यालय खोला। लड़कियों और दलितों के लिए पहली पाठशाला खोलने का श्रेय ज्योतिबा फुले को दिया जाता है। इस शोध पत्र के लिए विभिन्न शोध विधियों में से प्रस्तुत शोध पत्र में वर्णनात्मक शोध विधि को प्रयोग किया गया है।

निष्कर्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर सह-शिक्षा वे सह-शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। डॉ. भीमराव अंबेडकर जी लड़के और लड़कियों दोनों को एक साथ पढ़ने के लिए आधुनिक दृष्टिकोण अपनाया। रूढ़िवादियों ने सह-शिक्षा का विरोध किया। डॉ. भीमराव अंबेडकर का मानना है कि पुरुष और महिला समानता के आधुनिक दृष्टिकोण को साथ-साथ आगे बढ़ने के लिए अपनाया जाना चाहिए। सह-शिक्षा दिन-प्रतिदिन की कठिनाइयों से निपटने के लिए अतिरिक्त सामाजिक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देती है। दोनों को लैंगिक समानता के संदर्भ में चीजों को नेविगेट करने के लिए अतिरिक्त कौशल और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने हिंदू सामाजिक व्यवस्था और भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को एक अलग मुद्दे के रूप में नहीं देखा जा सकता है। हमारे समाज में जातिगत गौरव और लिंग गौरव की भावना प्रबल है। जाति का आधिपत्य लिंग संहिता के आधिपत्य में भी तब्दील हो सकता है जो समाज में गौरव और शक्ति का निर्धारण करता है। महिला सशक्तिकरण पर डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचार न केवल राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में बल्कि जाति के उन्मूलन और पितृसत्तात्मक समाज के विघटन में भी विस्तारित हुआ। जाति और पितृसत्तात्मक समाज के उन्मूलन के लिए खड़े होने के लिए जाने जाते थे। महिलाओं को सफलता प्राप्त करने के लिए, उनके पास उचित शिक्षा और आर्थिक कल्याण होना चाहिए। शिक्षा और आर्थिक समृद्धि के बिना, सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं होगा। इस कारण से, उन्होंने समान आर्थिक अधिकारों की वकालत की, जो सरकार द्वारा महिलाओं को दिए जाने चाहिए, उनकी जीविकोपार्जन की पर्याप्त क्षमता के माध्यम से, वेतन और काम के लिए लिंग के मामले में समान मापदंडों के माध्यम से। जैसा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने महसूस किया, मनुस्मृति और श्रेणीबद्ध असमानता की नींव को चुनौती दिए बिना समाज में सुधार का कोई और तरीका नहीं था। यह तर्क भी दिया गया कि महिलाओं की समस्याएँ जाति व्यवस्था की अभिव्यक्तियाँ थीं, इसलिए जाति को मिटाने के उद्देश्य से क्रांति से कम कुछ भी उन्हें लाभ नहीं पहुँचा सकता। महात्मा जोतिराव फुले एक रचनात्मक विचारक थे। शूद्र-अतिशूद्रों की दयनीय स्थिति अज्ञानता का परिणाम है। उन्होंने शिक्षा के कारण होने वाले लाभों की प्रकृति को भी स्पष्ट किया। उन्होंने शूद्र-अतिशूद्रों को बार-बार बताया कि ज्ञान और शिक्षा में व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक गुलामी से मुक्त करने की जबरदस्त शक्ति है। यह समझाते हुए कि शिक्षा एक शक्ति है, उन्होंने इस शक्ति का उपयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में किया। इसी कारण उन्होंने यह पुस्तक लिखी। इसने शूद्र अतिशूद्रों को ज्ञान के महत्व और उसके लाभों के बारे में समझाया गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- 1 अम्बेडकर, बाबा साहेब (2014). सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करे, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 79
- 2 यादव, एस.एस. (1999). गाँधी एवं अम्बेडकर का समाज दर्शन एक तुलनात्मक अध्ययन, दर्शन एवं धर्म विभाग, कला संकाय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, पृष्ठ 267

- 3 19 राजस्वी, एम.आई. (2013). महात्मा ज्योतिराव फुले, राजा पाकेट बुक्स 112, फर्स्ट फ्लोर, दरीबा कलां, दिल्ली, पृष्ठ 345
- 4 20 सिंह, टी. (2011), अंबेडकरवादी स्त्री चिंतन सामाजिक शोषण के खिलाफ आत्मवृत्तात्मक संघर्ष स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 45
- 5 कीर्तिविमल (2012) ज्योतिराव, गुलामगिरी, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 66
- 6 सिंह, पी. (2013). महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन दर्शन एवं शैक्षिक चिंतन का अध्ययन एवं वर्तमान संदर्भ में उनके विचारों की प्रासंगिकता, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, पृष्ठ 134
- 7 त्रिपाठी आर. (2017) प्राचीन भारतीय धर्म का इतिहास, राजकमल प्रकाशन पुरानी दिल्ली, पृष्ठ 129
- 8 सिंह, आर. पी. (2008) प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का इतिहास पाषाण युग से 12वीं तक पृष्ठ 78